फर्द अहकाम

(नियम 26)

2024/29

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्रीमती पुष्पा लोहार पत्नि श्री मदनलाल
निवासी बाण्डा, पोस्ट बाण्डा
तहसील आमेट
जिला राजसमन्द।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अधीक्षण अभियंता
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 09 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.02.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सिरोही को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के पति श्री मदनलाल जी लोहार की मृत्यु हुई, जिसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि का आज दिनांक तक प्रार्थिया को भुगतान नहीं किया गया है, उसका भुगतान नहीं किए जाने का कारण स्पष्ट करने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सिरोही को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के पति श्री मदनलाल जी लोहार की मृत्यु हुई, जिसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि का आज दिनांक तक प्रार्थिया को भुगतान नहीं किया गया है, उसका भुगतान नहीं किए जाने का कारण स्पष्ट करने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सिरोही से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:19:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner